

#/1326

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठार्सीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शाखिरे 2025 कैम्प स्थल - दण्डाक्षरी)

ग्रामीण सेवा शिपिरे 2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1046 दायर दिनांक 09/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट



क्र.ग.	नाम- ग्राम	खान	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>हनु</u> <u>श्री</u>	91	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। <u>वर्तमान प्रविष्टी</u> स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर <u>शुद्ध प्रविष्टी</u> स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	हस्ताक्षर गिरदाकर <u>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</u>	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>दण्डाक्षरी</u> पद <u>कपासना</u> खतासं <u>91</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिनिधि पालनाथ:-

तहसीलदार (भू.अ.)

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार तहसीलदार को सूचित करने।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़